झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–43 / 2020

1. साजिद खान

2. साका खान उर्फ सागर खान .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ताओं के लिए: श्री अब्दुल वहाब, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

आदेश सं0 04 दिनांक 28वीं जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ताओं की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्तागण बसिया थाना काण्ड संख्या 99 वर्ष 2018 (जी0आर0 संख्या 639 वर्ष 2019) के संबंध में आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि बदमाशों ने काम निर्माण स्थल में प्रवेश किया था और धमकी दी थी कि लेवी का भुगतान होने तक कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। सूचक और एक कार्यकर्त्ता के मोबाइल छीन लिए गए।

याचिकाकर्त्ता संख्या 1 को बसिया थाना काण्ड संख्या 33 वर्ष 2019 में याचिकाकर्त्ता संख्या 2 द्वारा किए गए कबूलनामे पर फंसाया गया लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता संख्या 2 के कबूलनामे पर लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए थे। याचिकाकर्त्ता संख्या 1 दिनांक 18.06.2019 से हिरासत में है, जबकि याचिकाकर्त्ता संख्या 2 दिनांक 03.07.2019 से हिरासत में है। सह–अभियुक्त में से लालताब उर्फ सखार खान को बी0ए0 संख्या 11479 वर्ष 2019 में इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है।

याचिकाकर्त्ताओं द्वारा व्यतीत हिरासत की अवधि के संदर्भ में, उन्हें 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गुमला की संतुष्टि पर, बसिया थाना काण्ड संख्या 99 वर्ष 2018 (जी0आर0 संख्या 639 वर्ष 2019) के संबंध में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)